न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 390 / 2020 निर्णय दिनांक :– 22.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. आत्माराम पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कमला देवी पत्नि देवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. कैलाशी देवली पत्नि प्रहलादराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. माया पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामजस पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रामरतन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सोनी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. सोसर पत्नि चतुर्भुज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. अम्बालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. प्रभू पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. तहसीलदार महोदय, तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री शिवजीराम डडवाडिया
अधिवक्ता प्रार्थीया

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि

प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 8 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 126 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.34 है0 कुल किता–10, कुल रकबा 1.91 है0 वाके ग्राम सांवतगढ़ पटवार हल्का सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का 1/35 हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 2374 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 2375 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 2379 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2486 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 2490 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 2491 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 2494 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 2510 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 2511 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 556 रकबा 2.18 है0, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.33 है0 कुल किता–19, कुल रकबा 5.95 है0 वाके ग्राम सांवतगढ़ पटवार हल्का सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का 1/35 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थी के दारा श्रीकिशन के नाम थी। प्रार्थी के दादा श्रीकिशन से पूर्व प्रार्थी के पिता चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के दादा श्रीकिशन की मृत्यु के बाद उनका फोती का नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 14.07.2005 को भरा गया उसमे प्रार्थी का नाम गलती से जयसिंह अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ज्ञानसिंह है। जयसिंह नाम का कोई पुत्र चतुर्भुज के नही था और ना ही गांव में जयसिंह पुत्र चतुर्भुज नाम का कोई व्यक्ति था। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जयसिंह पुत्र चतुर्भुज मीणा है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड एवं विद्यालय रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज मीणा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज मे अलग अलग होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है

तथा राज्य/ केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहा है।प्रार्थी के नाम का उक्त गलत अंकन भूलवश एवं त्रुटिवश हुआ है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम न्यायहित मे दुरूस्त किया जाकर जयसिंह पुत्र चतुर्भुज मीणा की जगह ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज मीणा अंकित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 11 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गयी है। उक्त भूमि के सहखातेदार बिरधी पुत्री श्रीकिशन, ग्यारसी पुत्री श्रीकिशन, केसर पुत्री चतुर्भुज, कमला पुत्री श्रीकिशन, केली पुत्री चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–बिन्दु नं. 1 :– चरण स्वीकार नही है। खाता सं0 23 मे वादी का नाम जयसिंह पुत्र चतुर्भुज दर्ज है। ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज दर्ज नही है। बिन्दु नं. 2 :– चरण दो स्वीकार नही है। वादीगण का नाम खाता सं0 111 में दर्ज नही है। बल्कि जयसिंह पुत्र चतुर्भुज दर्ज है। बिन्दु नं. 3 :– नामा0 सं0 412 दिनांक 14.7.2005 पटवारी हल्का द्वारा वारिसो की जांच कर दर्ज किया गया जो सही है। ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज के दस्तावेज उपलब्ध नही करवाने से ज्ञानसिंह पुत्र चतुर्भुज दर्ज किया जो सही है। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 4 :– राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम स्वीकार है। अन्य दस्तावेजो के नाम स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु नं. 5 :– चरण पांच अपेक्षित नही है। बिन्दु नं. 6 :– चरण 6 लगायत 8 न्यायालय से सम्बन्धित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 14.07.2005 में सहवन से ज्ञान सिंह के स्थान पर जयसिंह दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जिसके कारण प्रार्थी को भूमि से सम्बन्धित योजनाओं को लाभ नहीं ले पा रहा है। जबकि अन्य सभी सरकार दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम ज्ञान सिंह अंकित है। अतः काश्तकार के हितो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी के पिता

चतुर्भुज की मृत्यु प्रार्थी के दादा के पहले ही हो गई थी। जिसके कारण नामान्तकरण संख्या 412 ग्राम सांवतगढ में श्री किशना के फौत होने के बाद प्रार्थी के पिता चतुर्भुज के स्थान पर प्रार्थी के साथ साथ चतुर्भुज के अन्य वारिसान का नामान्तकरण खुला हुआ है तथा किशना के फोत होने के बाद जमाबन्दी सम्वत 2056–60 में श्री किशना पुत्र कल्याण जाति मीणा खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था और किशना के फौत होने के बाद किसना के अन्य वारिसान के साथ प्रार्थी के नाम नामान्तकरण ज्ञान सिंह के स्थान पर जयसिंह के नाम खोल दिया जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित है। उतरोतर जमाबन्दीयो में भी प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र आत्माराम दर्ज रिकॉर्ड होता रहा। हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में भी प्रार्थी का नाम जयसिंह दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, भामाशाह कार्ड , टी. सी. फॉर्म राजकीय माध्यमिक विद्यालय सावतगढ में प्रार्थी का नाम ज्ञान सिंह मीणा पुत्र चतुर्भुज मीणा दर्ज है। अतः उक्त के विवेचन से स्पष्ट है कि जय सिंह व ज्ञान सिंह में अल्प भिन्नता के कारण प्रार्थी का नाम जयसिंह दर्ज राजस्व अभिलेख हुआ है, जिसको दुरूस्त किया जान उचित प्रतीत होता है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 111 कुल किता 19 कुल रकबा 5.95 है0 व खाता संख्या 23 कुल किता 10 कुल रकबा 1.91 है0 में दर्ज जयसिंह पुत्र चतुर्भुज के स्थान पर ज्ञान सिंह पुत्र चतुर्भुज दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली